संशोधित

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग,बारां

क0 नं0 121, द्वितीय तल, जिलापरिषद् भवन, मिनीसचिवालय, कोटा रोड, बारां (राज0) 325205
E-mail address- ddbaran.wcd@rajasthan.gov.in, ddbaran.wcd@gmail.com दूरभाष नं0– 07453-237012

क्रमांकः विज्ञप्ति / म.बा.वि. / 2026–27 / 987 दिनांक : 10/07/2026

विज्ञप्ति संख्या –2 / 2026

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों / वार्डों में आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ईमेल आई0डी0	ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय का नाम	ग्राम / वार्ड	आंगनबाडी केंद्र का नाम	रिक्त मानदेय पद	आरक्षित वर्ग
1	बाल विकास परि0 अधिकारी, अंता antacdpo@gmail.com	पलायथा	पलायथा	पलायथा–1	सहायिका	SC
2	बाल विकास परि0 अधिकारी, अटरू cdpoatru2@gmail.com	मूण्डला बिसौती	देगनी जागीर	देगनी जागीर	कार्यकर्ता	SC
3		मूण्डला बिसौती	देगनी जागीर	देगनी जागीर	सहायिका	SC
4		गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	सहायिका	अनारक्षित
5		अर्डान्द्ध	पिपलोद	पिपलोद–1	सहायिका	अनारक्षित
6		किशनपुरा	कराडिया हाडा	कराडिया हाडा	सहायिका	अनारक्षित
7		शेरगढ	किशनपुरा मशाल दरान	किशनपुरा मशाल दरान	सहायिका	अनारक्षित
8	बाल विकास परि0 अधिकारी,बारां cdporural93@gmail.com	कोयला	कोयला	कोयला–5	कार्यकर्ता	ST
9		सीमली	सीमली	सीमली–प्रथम	कार्यकर्ता	अनारक्षित
10		नगर परिषद् बारां	वार्ड नं0 39	वार्ड नं0 6	सहायिका	अनारक्षित
11		नगर परिषद् बारां	वार्ड नं0 32	वार्ड नं0 31 प्रथम	सहायिका	अनारक्षित
12		नगर परिषद् बारां	वार्ड नं0 4	नलका--II	सहायिका	अनारक्षित
13		नारेडा	बावडीखेडा	बावडीखेडा–I	सहायिका	अनारक्षित
14		नारेडा	गूगलहेडी	गूगलहेडी	सहायिका	Sc
15		करनाहेडा	लुहारिया	लुहारिया	सहायिका	अनारक्षित
16		बामला	बामला	बामला–II	सहायिका	अनारक्षित
17		फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर II	सहायिका	अनारक्षित
18		कोयला	कोयला	कोयला –4	सहायिका	अनारक्षित
19		मियाडा	मियाडा	मियाडा –I	सहायिका	अनारक्षित
20	बाल विकास परि0 अधिकारी, छबडा cdpochhabra@gmail.com	कडैयानाहेर	कडैयानाहेर	कडैयानाहेर प्रथम	कार्यकर्ता	अनारक्षित
21		मेतीपुरा	मेतीपुरा	मेतीपुरा	सहायिका	अनारक्षित
22		दीलोद	नरसिंहपुरा	नरसिंहपुरा	सहायिका	ST
23		छबडा	छबडा	शंकर कॉलोनी प्रथम	सहायिका	SC
24		उदपुरिया	उदपुरिया	उदपुरिया	सहायिका	अनारक्षित
25		नगर पालिका छबडा	वार्ड नं0 27,28	वार्ड नं0 19	सहायिका	Mino.
26		जेपला	भीलवाडा ऊंचा	भीलवाडा ऊंचा	सहायिका	अनारक्षित
27		मूण्डक्या	मूण्डक्या	मूण्डक्या	सहायिका	अनारक्षित
28		झरखेडी	खेजडा	खेजडा	सहायिका	अनारक्षित
29	बाल विकास परि0 अधिकारी छीपाबडौद cdpochhipabarod@gmail.com	फूलबडौदा	मवासा	मवासा	सहायिका	अनारक्षित
30		कचनारियाकलां	श्रीपुरा	श्रीपुरा	सहायिका	अनारक्षित
31		खेडलाजागीर	मिश्रोली	मिश्रोली	कार्यकर्ता	अनारक्षित
32		गोरधनपुरा	राजपुरा–खालसा	राजपुरा–खालसा	सहायिका	अनारक्षित
33		अमलावदाआली	नीमथूर	नीमथूर	सहायिका	अनारक्षित
34		मानपुरा	कोटडी	कोटडी	सहायिका	SC
35		गगचाना	उदपुरिया	उदपुरिया	सहायिका	अनारक्षित
36		मोखमपुरा	माधोपुर	माधोपुर	सहायिका	अनारक्षित

39	अधिकारी, किशनगंज cdpo.kishanganj@rajasthan.gov.in	खण्डेला	कोटीखेडा	कोटीखेडा	सहायिका	अनारक्षित
40		कागला बमोरी	बालाखेडा	बालाखेडा	सहायिका	अनारक्षित
41		परानिया	अमरपुरा	अमरपुरा	सहायिका	अनारक्षित
42		करवरीकलां	अहिल्या बस्ती	अहिल्या बस्ती	सहायिका	अनारक्षित
43		बन्दाखुर्द	आनन्दपुरा	आनन्दपुरा	सहायिका	अनारक्षित
44		ख्यावदा	ख्यावदा	ख्यावदा	सहायिका	अनारक्षित
45		बरूनी	सुहावन	सुहावन	सहायिका	अनारक्षित
46	बाल विकास परि० अधिकारी, शाहबाद shahbadcdpo14@gmail. com	ढिकवानी	रातईखुर्द	रातई–। (रातई,खुर्द)	कार्यकर्ता	अनारक्षित
47		दांता	दांता	दांता–।।।	कार्यकर्ता	अनारक्षित
48		शुभघरा	मुगावली	मुगावली	कार्यकर्ता	अनारक्षित
49		दांता	दांता	दांता–।।।	सहायिका	अनारक्षित
50		आगर	भरोली	भरोली	सहायिका	ST
51		दांता	ख्यावदा	ख्यावदा	सहायिका	ST
52		खुशियारा	नारायणखेड़ा	नारायणखेड़ा–।	सहायिका	ST
53		सेमली फाटक	रानीपुरा	रानीपुरा	सहायिका	ST
54		अजरोंडा	बहराई	बहराई–।।	सहायिका	ST
55		महोदरा	सिरसौदखुर्द	सिरसोदखुर्द–।।	सहायिका	अनारक्षित
56		गणेशपुरा	डाबरी	डाबरी	सहायिका	ST
57		खाण्डा सहरोल	बिरोली	बिरोली	सहायिका	ST
58		बिची	सुहानखो	सुहानखो	सहायिका	ST
59		गणेशपुरा	सूखासेमली	सूखासेमली	सहायिका	ST
60		शाहबाद	शाहबाद	शाहबाद–4	सहायिका	अनारक्षित
61		देवरी	देवरी	देवरी–3	सहायिका	ST

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

1. ग्रामीण क्षेत्र मे महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र मे संबंधित आंगनबाडी केन्द्र परिक्षैत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थानो के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. **वैवाहिक स्थिति–** कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनबाडी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनो पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नही रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जाएगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग (शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य मे स्थानीय निवासी नही रहने पर जांच उपरान्त मानदेय सेवा से हटा दिया जाएगा।
3. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
4. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18–35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित –प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त, कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीडित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण मे अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नही होगी।
5. आवेदनकर्ता महिला के घर मे शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र मे किया जाना आवश्यक है।
6. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप मे पति की मृत्यू का प्रमाण पत्र तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. तलाकशुदा की स्थिति मे सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
8. विभिन्न पदो के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र कमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मापदण्ड निर्धारित जिसे संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
9. दो या दो से अधिक आवेदको के बराकर अंक होने की स्थिति मे निम्न कम कम मे वरीयता दी जाएगी।
   (अ) विधवा, तलाक शुदा इनमे भी समान अंक होने पर जो सबसे कम उम्र की (विधवा या तलाकशुदा महिला की जन्मतिथी के आधार पर)हुई हो।
   (ब) विकलांग (स) अधिकतम आयु वाली महिला।
   (द) अधिकतम आयु वाली महिला मे भी दो या दो से अधिक आवेदको के बराबर अंक होने की स्थिति मे बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति मे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार

10. पिछडा वर्ग नॉन किमिलियर के प्रमाण पत्र व आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मान्य होगा।
11. अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
12. **राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यो के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को सामान्य वर्ग का अंक दिया जावेगा।**
13. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका /प्रमाण पत्र (2) सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/**एनटीटी (एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त)**/ डीपीएसई/ बीएसटीसी / डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र /राशन कार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग /आर्थिक पिछडा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप मे 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7)एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8)विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
14. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों मे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मे व्यक्तिशः प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस .को सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकेगे । अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति मे वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र मे सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नही किया जायेगा।
16. जिन आंगनबाडी केन्द्रो के कवरेज क्षैत्रो मे जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षैत्रो मे जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
17. इस संबंध मे विस्तृत जानकारी उप निदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एव 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
18. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजो के पृष्ट संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।

(सी.एल.शर्मा)RAS
उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बारां

दिनांक : 10/07/2026

क्रमांकः विज्ञप्ति/ म.बा.वि./2026–27/988-97

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, बारां।
4. श्रीमान अति0 कलक्टर सहरिया विकास परियोजना शाहबाद।
5. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. उप खण्ड अधिकारी, समस्त जिला बारां। जिला बारां।/ जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला बारां।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी,समस्त जिला बारां को भेजकर लेख है कि उक्त रिक्त पदो के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रो के अनुसार कराना सुनिश्चित करे। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करे।
9. सरपंच/सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका.................................. द्वारा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बारां